



टी बोर्ड भारत
TEA BOARD INDIA

प्रेस नोट: चाय विकास एवं संवर्धन योजना 2023-24 से 2025-26 की घोषणा कोलकाता,

03-10-2024

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में टी बोर्ड को 03-10-2024 को 664.09 करोड़ रुपये के समग्र बजट के साथ **चाय विकास एवं संवर्धन योजना** की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। योजना की अवधि 2023-24 से 2025-26 (31 मार्च, 2026) तक है। इस योजना के सात प्रमुख घटक हैं। टी बोर्ड चाय उद्योग के हितधारकों, जो चाय के उत्पादन, विनिर्माण, संवर्धन और विपणन, अनुसंधान आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, को योजना के घटकों - बागान विकास और गुणवत्ता उन्नयन, चाय संवर्धन और बाजार समर्थन, तकनीकी हस्तक्षेप, अनुसंधान और विकास तथा कल्याण और क्षमता निर्माण उपायों के तहत सहायता और समर्थन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। इन योजना घटकों के माध्यम से यह परिकल्पना की गई है कि खेत से लेकर कप तक, चाय उद्योग के हर पहलू को छुआ जाएगा और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय चाय उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख क्षेत्र जिन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा और चाय उद्योग के लाभान्वित होने वाले हितधारक निम्नस्थ हैं:-

क्र.सं	उप-घटक/गतिविधियाँ	शामिल हितधारक
1.	पुनःरोपण के लिए समर्थन	टी बोर्ड भारत के साथ पंजीकृत बड़े चाय बागान (10.12 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल)
2.	अनुशंसित गुणवत्ता वाली किस्मों के साथ नर्सरी तैयार करने के लिए सहायता	कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी / एसटीजी / स्टार्ट-अप / एसएचजी / एफपीओ / एफपीसी
3.	लघु चाय उत्पादकों का संघटन - स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ/एफपीसी को सहायता	एसएचजी/एफपीओ/एफपीसी
4.	अर्थोडॉक्स, हरी और विशेष चाय के उत्पादन के लिए एसएचजी / एफपीओ / एफपीसी द्वारा नई मिनी चाय इकाई की स्थापना	एफपीओ/ एफपीसी
5.	एसएचजी/एफपीओ के लिए वार्षिक पुरस्कार - प्रति वर्ष 4 क्षेत्रों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के पुरस्कार	एसएचजी / एफपीओ
6.	व्यक्तिगत लघु चाय उत्पादकों / एसएचजी / एफपीओ के लिए मृदा परीक्षण	एसटीजी/एसएचजी/एफपीओ
7.	जैविक प्रमाणीकरण और रूपांतरण	एसटीजी
8.	फार्म फिल्ड स्कूल	
9.	उचित छंटाई चक्र और मानक छंटाई चक्र के पालन को प्रोत्साहित करना तथा गुणवत्तापूर्ण हरी पत्तियों की निरंतर आपूर्ति करना	एसएचजी/एफपीओ/एफपीसी

10.	गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना, चाय के नमूने लेना और उनका परीक्षण करना	विनिर्माण इकाइयों/गोदाम/खुले बाजार से नमूने एकत्र किए जाएंगे
11.	चाय परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए चाय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	चाय अनुसंधान संस्थान (सरकारी/स्वायत्त निकाय/निजी/सोसायटी पंजीकृत) जिन्होंने चाय परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हों
12.	चाय की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना	पंजीकृत चाय संघ / टी बोर्ड के साथ पंजीकृत भारतीय चाय कंपनियों का समूह
13.	अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड संवर्धन, सामान्य संवर्धन, अभियान, पीआर और नेटवर्किंग गतिविधियां, मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया संवर्धन, प्रतिनिधिमंडल, प्रायोजन, कार्यक्रम आदि, पहचाने गए और नए भौगोलिक क्षेत्रों और बाजारों आदि के लिए प्रचार उपकरण, सहायता, सामग्री आदि के साथ। (स्मार्ट प्रमोशन)	पंजीकृत चाय संघ / चाय कंपनियों का समूह / टी बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्यातकों का समूह
14.	अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विविधता लाने के लिए भारतीय मूल के चाय कैफे को समर्थन	भारत में भारतीय मूल के चाय कैफे शामिल, भारतीय स्टार्टअप
15.	टी बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी	भारतीय चाय निर्यातक टी बोर्ड में पंजीकृत
16.	आउटबाउंड प्रतिनिधिमंडल और क्रेता-विक्रेता बैठक (टी बोर्ड द्वारा आयोजित)	भारतीय चाय निर्यातक टी बोर्ड में पंजीकृत
17.	इनबाउंड प्रतिनिधिमंडल और रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक (टी बोर्ड द्वारा आयोजित)	टी बोर्ड के साथ प्रासंगिक वैध पंजीकरण वाले भारतीय चाय हितधारक
18.	बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय चाय संगठन, बाजार आसूचना आदि।	पंजीकृत चाय संघ, टी बोर्ड के साथ पंजीकृत चाय कंपनियां/चाय निर्यातक
19.	आईसीडी अमिंगांव के माध्यम से चाय के निर्यात को प्रोत्साहन	वैध पंजीकरण वाले भारतीय चाय निर्यातक, लघु चाय उत्पादक/एफपीओ/एफपीसी/एस्टेट फैक्ट्री वाली कंपनी/बीएलएफ/सहकारी फैक्ट्री/मिनी चाय फैक्ट्री जिन्होंने टी बोर्ड से निर्यातक लाइसेंस प्राप्त किया हो
20.	बौद्धिक संपदा अधिकार और लोगो संरक्षण एवं संवर्धन	भारतीय चाय उद्योग के लिए टी बोर्ड द्वारा
21.	घरेलू कार्यक्रमों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी	टी बोर्ड के साथ वैध प्रासंगिक पंजीकरण वाली भारतीय चाय कंपनियाँ
22.	ऑर्थोडॉक्स चाय का घरेलू प्रचार	टी बोर्ड के साथ पंजीकृत विभिन्न भारतीय चाय कंपनियों के पंजीकृत चाय संघ/समूह
23.	घरेलू ब्रांडिंग गतिविधियाँ, विपणन, सामान्य प्रचार, पीआर गतिविधियाँ, प्रचार सामग्री, सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया प्रचार आदि	पंजीकृत चाय संघ/ टी बोर्ड के साथ पंजीकृत विभिन्न भारतीय चाय कंपनियों का समूह
24.	स्टार्ट अप्स को ब्रांड प्रमोशन हेतु सहायता	स्टार्ट अप इंडिया के साथ पंजीकृत भारतीय चाय कंपनियां
25.	मूल्य संवर्धन इकाइयों (मिश्रण एवं पैकेजिंग इकाइयों) की स्थापना	उद्यमियों

26	तकनीकी हस्तक्षेप	टी बोर्ड और हितधारकों की दक्षता और उत्पादकता को उन्नत करने के लिए।
27	उत्पाद विकास और विविधीकरण (अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मिश्रणों पर अनुसंधान), अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल), कीट और रोग प्रबंधन आदि।	अनुसंधान एवं विकास संस्थान (सरकारी/स्वायत्त निकाय/निजी, उद्योग समर्थित/पंजीकृत सोसायटी/प्रयोगशालाएं)
28	चाय अनुसंधान संस्थानों को सहायता: टीआरए, यूपीएसआई, डीटीआरडीसी और क्यूसीएल	टीआरए, उपासी, डीटीआरडीसी एवं क्यूसीएल
29	क्षमता निर्माण - वैज्ञानिक सेमिनार और कार्यशालाएं तथा बोर्ड अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	प्रशिक्षण संस्थान
30	क्षमता निर्माण- कार्यशाला, सेमिनार और संस्थागत प्रशिक्षण, जीएपी, जीएमपी, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आदि।	बोर्ड के अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से छोटे चाय उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ/एफपीसी को प्रशिक्षण
31.	बड़े चाय बागान श्रमिकों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को शैक्षिक सहायता (1 हेक्टेयर तक)	चाय बागान श्रमिकों/एसटीजी के बच्चे
32	पुस्तकें एवं वर्दी अनुदान- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बंद चाय बागानों और बड़े चाय बागानों के श्रमिकों के बच्चे	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बंद चाय बागानों और बड़े चाय बागानों के श्रमिकों के बच्चे
33	कक्षा 10 और 12 के लिए अनुसूचित जनजाति समूहों (1 हेक्टेयर तक) के मेधावी छात्रों और बड़े चाय बागान श्रमिकों के लिए पुरस्कार	एस.टी.जी. एवं बड़े चाय बागान श्रमिकों के बच्चे
34	बंद चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के विकलांग और गंभीर रूप से बीमार आश्रितों (गुर्दा, हृदय, यकृत रोग और कैंसर) के लिए सहायता	टी बोर्ड के साथ पंजीकृत बंद चाय बागानों के श्रमिकों के आश्रित

इस समय दृष्टिकोण के माध्यम से चाय उद्योग को मजबूत करने से घरेलू स्तर पर चाय की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि होने तथा बेहतर मूल्य प्राप्ति में योगदान मिलने की उम्मीद है, तथा उद्योग को टिकाऊ बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में चाय निर्यात बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीके और दिशानिर्देश तथा अन्य विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.teaboard.gov.in पर उपलब्ध हैं। योजना के विभिन्न उप-घटकों के कार्यान्वयन के लिए सभी सेवाएं "सर्विस प्लस" पोर्टल <https://serviceonline.gov.in> पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से होंगी और सभी भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे। इच्छुक हितधारक 15-10-2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक गतिविधि के संबंध में संभावित कट-ऑफ तिथियां बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से रखी जाएंगी।

एन.बी- प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर-

डीटीआरडीसी- दार्जिलिंग चाय अनुसंधान विकास केन्द्र

निर्यातक- टी बोर्ड का वैध निर्यातक लाइसेंस रखने वाले निर्यातक

एफपीसी- चाय किसान उत्पादक कंपनी, एफपीओ- चाय किसान उत्पादक संगठन,

जीएपी- अच्छी कृषि पद्धतियाँ, जीएमपी- अच्छी विनिर्माता पद्धतियाँ,

आसीडी- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, आईपीआर- बौद्धिक संपदा अधिकार

पीपीपी- सरकारी निजी कंपनी भागीदारी, क्यूसीएल- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, एसटीजी- लघु चाय उत्पादक,

टीएमसीओ- चाय विपणन नियंत्रण आदेश,

टीआरए- चाय अनुसंधान संघ, उपासी- यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया